दीनदयाल अन्त्योदय योजना(डी0ए0वाई0) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान (सब्सिडी) राज्य से नोडल बैंक के माध्यम से अवमुक्त किये जाने हेतु मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(एस0एल0बी0सी0) समन्वयक एवं प्रदेश के लीड बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 02.02.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना(डी0ए0वाई0) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्य– .No. K-14012 /15/2016-यूपीए/एफर्टीएस–16320] दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा दिशा निर्देशों में किये गये संशोधन के अनुक्रम में स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शहरों के शहरी गरीबों को दी जा रही सब्सिडी/दिये जाने वाले सब्सिडी को नोडल बैंक के माध्यम से अवमुक्त किये जाने हेतु मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0) समन्वयक एवं प्रदेश के लीड बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 02.02.2017 को अपरान्ह 12.30 बजे आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया:–

1 श्री वी0के0 सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2 श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
3 श्री ओ0के0 सिंह, राज्य मिशन प्रबन्धक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0।
4 मो0 तैयब, राज्य मिशन प्रबन्धक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0।
5 श्री राजीव श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0, बैंक आफ बडौदा।
6 श्री के0के0 माथुर, मुख्य प्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0, बैंक आफ बडौदा।
7 श्री हरीओम अग्रवाल, सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक।
8 श्री सुनील अरोडा, सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक।
9 श्री लवलेश पाण्डेय, सिंडिकेट बैक।
10 श्री राज कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक, इलाहाबाद बैक।
11 श्री वी0वी0 सिंह, मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक।
12 श्री नन्द किशोर, अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक।
13 श्री सुबोध कुमार, सहायक प्रबन्धक, बैक आफ बडौदा।
14 श्री राकेश कुमार, मुख्य प्रबन्धक, इलाहाबाद बैक।

राज्य मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा द्वारा बैक के अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना(डी0ए0वाई0) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटकों यथा व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण एवं एस0एच0जी0 के बैंक लिंकेजेज में योजनान्तर्गत दी जा रही सब्सिडी को भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के प्राथमिकता के अनुसार शहर स्तर पर विभिन्न बैकों को सीधे अवमुक्त करने के बजाए राज्य स्तर से नोडल बैंक के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है ताकि शहरी गरीबों को दिये जाने वाले ऋण की सधन मानीटरिंग बैकों द्वारा भी की जा सके।

बैंक प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया योजनान्तर्गत प्रस्तावों के परीक्षण एवं संस्तुति हेतु शहर स्तर पर जिलाधिकारी/नगर प्रोजेक्ट अधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित है जिसमें बैंको का प्रतिनिधित्व भी है। उक्त टास्क फोर्स के माध्यम से लघुउघम स्थापना के प्रस्ताव बैकों को शहर मिशन प्रबन्धन इकाई डूडा द्वारा अग्रसारित किये जाते है तथा वर्तमान में त्रैमासिक आधार पर बैकों की मांग के अनुसार सब्सिडी की धनराशि शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) डूडा द्वारा अवमुक्त की जाती है। टास्क फोर्स के माध्यम से प्रस्ताव परीक्षण एवं डूडा द्वारा तत्क्रम में प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी परन्तु नई व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रारम्भ में सब्सिडी की धनराशि अग्रिम स्वरूप नोडल बैंक को अवमुक्त कर दी जायेगी तथा शहरवार वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित कर सूचित कर दिया जायेगा, तदोपरान्त नोडल बैक की जिम्मेदारी होगी कि वह उक्त धनराशि सभी शहरों के बैंको को अपने माध्यम से मांग के अनुसार लक्ष्य के सापेक्ष मानीटरिंग कर अवमुक्त करेगा तथा त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा उ0प्र0 को अवमुक्त कराकर अपेक्षित सब्सिडी की धनराशि प्राप्त करेगा। साथ ही सभी लीड बैकों द्वारा दी गयी सब्सिडी का विवरण नोडल बैंक के पोर्टल पर फीड करना होगा।

बैकों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों का अध्ययन कर अपेक्षा की गयी कि इस योजनान्तर्गत सब्सिडी का विवरण नोडल बैंक के पोर्टल पर अपलोड किये जाने की व्यवस्था का संशोधित दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, परन्तु पोर्टल विकसित किये जाने में आने वाले व्ययभार तथा तकनीकी सहयोग पर स्पष्टता नहीं है कि पोर्टल विकसित करने का व्ययभार किसके द्वारा वहन किया जायेगा तकनीकी सहयोग कौन प्रदान करेगा ? साथ ही अपेक्षा की गयी कि इस संबंध में भारत सरकार से शीध्र ही स्पष्टता प्राप्त कर ली जाय। साथ ही बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिये गये कि भारत सरकार के माध्यम से अन्य राज्यों के अनुभवों का भी आदान प्रदान कराया जाय। बैंक प्रतिनिधियों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि चूकि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू की गयी ऐसी दशा में उचित होगा कि नेशनल स्तर पर पोर्टल, भारत सरकार द्वारा अपेक्षा के अनुरूप विकसित कराया जाय ताकि सभी राज्यों के आकडों में समानता रहे तथा नेशनल स्तर पर आंकडों को संकलित कर उपयोग किया जा सके।

सधन विचार विमर्ष के उपरान्त आपसी सहमति से निम्न निर्णय दिये गयेः—

1 दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी0ए0वाई0—एन0यू0एल0एम0) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु प्रदेश हेतु लीड बैंक बैंक आफ बडौदा (बी0ओ0बी0) राज्य स्तरीय नोडल बैंक होगा।

2 नोडल बैंक बी0ओ0बी0 सब्सिडी धनराशि चयनित शहरों में प्रदेश हेतु 09 लीड बैंकों (Allahabad Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank, Central Bank of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Syndicate Bank, Union Bank of India)के माध्यम से संबंधित जिले के लीड बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को

लक्ष्य एवं लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि के आधार पर आंगणित सब्सिडी की धनराशि मांग के अनुरूप सभी बैंकों/ब्रान्चों को अवमुक्त करेगा।

3 उक्त व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्श 2017–18 से लागू की जायेगी।

4 बैंको द्वारा् की गयी अपेक्षा का निस्तारण शीध्र ही भारत सरकार से कराकर बैंकों को अवगत कराया जायेगा।

बैठक में उक्त के साथ ही एस0एम0 एण्ड आई0डी0 के अन्तर्गत एस0एच0जी0 के बैकों में खाते खोलने एवं एस0ई0पी0 के बैक लिकेज में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गयी। सूडा प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय शहरों में कतिपय बैंक एस0एच0जी0 बैंक खाता खोलने हेतु उसका पैन नं0 तथा सभी सदस्यों के के0वाई0सी0 की मांग करते है जिससे एस0एच0जी0 के खाता खोलने में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा शहरी गरीब समुदाय में प्रतिकूल सन्देश जाता है। साथ ही अवगत कराया गया कि कतिपय शहरों/बैंकों में लिंकेज में भी समस्या आ रही है।

इसके अतिरिक्त एस0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न बैंकों में लम्बित 14360 ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत करने के विषय में चर्चा की गयी। साथ ही साथ समयान्तर्गत निस्तारण की अपेक्षा की गयी। एस0एल0बी0सी0 समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदवार, बैंकवार लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची उपलब्ध करायी जाए जिससे सार्थक निराकरण कराया जा सके।

उक्त समस्या के समाधान के संबंध में एस0एल0बी0सी0 समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि सभी बैकों को एस0एच0जी0 बैंक खाता खोलने हेतु पूर्व में ही निर्देश निर्गत किये गये है जिसके अनुसार एस0एच0जी0 बैंक खाता हेतु केवल एस0एच0जी0 आफिस बेयरर (अधिकृत प्राधिकारी) के ही के0वाई0सी0 की आवश्यकता है सभी सदस्यों के के0वाई0सी0 तथा एस0एच0जी0 पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एस0एल0बी0सी0 समन्यक द्वारा सूडा के अनुरोध पर उक्त निर्देश प्रदेश के सभी बैकों को पुनः निर्गत किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्त में धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0) सूडा
नगरीय विकास अभिकरण– सूडा, उ0प्र0
प्रथम तल पर्यटन भवन विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

पत्रांक 125/241/एनयूएलएम/तीन/2001(एसईपी) दिनांक 10-2-17

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।

2 सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

3 निदेशक (यू0पी0ए0 प्रकोष्ठ) आवास एवं शहरी गरीबी उपशनम मंत्रालय भारत सरकार।

4 बैठक में उपस्थित उक्त समस्त अधिकारियों को प्रेषित।

5 वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।

6 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0

7 सहायक वेवमास्टर, सूडा को सूडा की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक